



Neutral Citation No. - 2026:AHC:161319

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 8406 वर्ष 2026

19.05.2026 को सुरक्षित रखा गया

03.08.2026 को सुनाया गया

योगेश गुप्ता

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : आकाश किशन, अशोक कुमार गुप्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, हर्षवर्धन गुप्ता

न्यायालय संख्या - 88

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आकाश किशन, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री हर्ष वर्धन गुप्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अखिलेश कुमार मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

2. यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में, बी.एन.एस.एस.) की धारा 528 के अंतर्गत आवेदक द्वारा आरोप-पत्र एवं दिनांक 12.12.2025 के समन आदेश तथा वाद संख्या 6752/IX/2025 (राज्य बनाम योगेश गुप्ता) की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या 328 वर्ष 2023, धारा 406 भा.दं.सं., थाना-कोतवाली नगर, जिला-बांदा से उत्पन्न हुई है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा के न्यायालय में लंबित है।

3. इस आवेदन को प्रस्तुत किए जाने के आधारभूत संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने आवेदक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह बालाजी टेक्सटाइल नामक कंपनी, संख्या 9/6463, नेहरू नगर, दिल्ली-110031 का स्वामी है और रेडीमेड वस्त्रों के व्यवसाय में संलिप्त है। उसने वर्ष 2014 में बांदा स्थित बालाजी एंटरप्राइजेज के स्वामी अभियुक्त राकेश गुप्ता को माल बेचा था। अभियुक्त माल का भुगतान नहीं कर रहा है। दिनांक 26.11.2022 को अभियुक्त को थाना-कोतवाली नगर के प्रभारी द्वारा पकड़ा गया, जहां उसने एक समझौता लिखकर दिया और कहा कि वह किस्तों में भुगतान करेगा तथा प्रथम भुगतान दिनांक 15.12.2022 को किया जाएगा, किंतु बाद में उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया और अप्रैल, 2023 तक का और समय मांगा। अब वह न तो भुगतान कर रहा है और न ही अपना टेलीफोन उठा रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उक्त सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई तथा जांच के पश्चात आवेदक के विरुद्ध धारा 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत की गई। संबंधित न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया और आवेदक को समन किया।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विवाद मूलतः दीवानी प्रकृति का है। संपत्ति का कोई न्यासगत सुपुर्द किया जाना नहीं हुआ है और इसलिए धारा 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं बनता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विवाद मानकीकृत व्यावसायिक लेन-देन से उत्पन्न बकाया राशि का भुगतान न किए जाने से संबंधित है, जो आवेदक के विरुद्ध किसी संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग नौ वर्ष के अंतराल के बाद विलंब से दर्ज की गई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और चूंकि अपराध के लिए तीन वर्ष से अधिक के कारावास का दंड नहीं है, इसलिए धारा 468 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही वर्जित है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरियाणा राज्य बनाम चौ. भजन लाल (1992 सप्लिमेंट (1) एससीसी 335)** में दिए गए निर्णय के दृष्टिगत कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है, क्योंकि विवाद मूलतः दीवानी प्रकृति का है और उसे आपराधिक रूप दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आपराधिक न्यासभंग का अपराध नहीं बनता है। अतः यह कार्यवाही विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सही तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है। आवेदक ने आपराधिक न्यासभंग किया है और उसके विरुद्ध धारा 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनता है। आवेदक बकाया राशि स्वीकार कर रहा है और उसने यह प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचनाकर्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा उससे उक्त राशि की मांग की गई थी, क्योंकि आवेदक न तो भुगतान कर रहा है और न ही फोन कॉल का उत्तर दे रहा है; अतः उसके विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से बनता है। विवाद पूर्णतः दीवानी प्रकृति का नहीं है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के **हरियाणा राज्य बनाम चौ. भजन लाल (उपर्युक्त)** के निर्णय का वर्तमान मामले पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत इस आवेदन में कोई बल नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विवाद में आपराधिक तत्व विद्यमान है। संज्ञेय अपराध बनता है। अतः कार्यवाही समय-सीमा से बाधित नहीं है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट उस समय दर्ज की गई जब अभियुक्त ने अंततः भुगतान करने से इनकार कर दिया और फोन उठाने की भी परवाह नहीं की।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, रेडीमेड वस्त्र अभियुक्त को बेचे गए थे, जिनका वह बार-बार मांग किए जाने और राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद भुगतान नहीं कर रहा है। आवेदक की ओर से प्रथम तर्क यह है कि धारा 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं बनता है, क्योंकि यह स्वीकार किया गया है कि माल बेचा गया था और आपराधिक न्यासभंग के अपराध के लिए आवेदक को माल सुपुर्द नहीं किया गया था। धारा 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंड आकर्षित करने के लिए संपत्ति का सुपुर्द किया जाना मूलभूत तत्व है। आवेदक की दलील में बल है, क्योंकि माल की कोई सुपुर्दगी नहीं हुई थी, बल्कि उसे बेचा गया था। आपराधिक न्यासभंग को धारा 405 भा.दं.सं. के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

“405. आपराधिक न्यासभंग— जो कोई किसी भी प्रकार से किसी संपत्ति या किसी संपत्ति पर प्रभुत्व के साथ न्यस्त किया गया हो और वह उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करता है या उसे अपने उपयोग के लिए परिवर्तित कर लेता है, या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग करता है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



या उसका व्ययन ऐसी विधि के किसी निर्देश का उल्लंघन करते हुए करता है, जो यह निर्धारित करती है कि ऐसे न्यास का निर्वहन किस प्रकार किया जाना है, या ऐसे न्यास के निर्वहन के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी विधिक संविदा, व्यक्त या विवक्षित, का उल्लंघन करते हुए करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, वह 'आपराधिक न्यासभंग' करता है।”

8. उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि संपत्ति का न्यस्त किया जाना अथवा उस पर प्रभुत्व होना आपराधिक न्यासभंग के अपराध को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है। प्रथम सूचनाकर्ता के अनुसार, उसके द्वारा माल आवेदक को बेचा गया था; अतः न तो उसके द्वारा आवेदक को माल की कोई सुपुर्दगी की गई थी और न ही संपत्ति पर कोई प्रभुत्व आवेदक को सौंपा गया था। धारा 405 भा.दं.सं. ऐसे संबंध के सृजन की परिकल्पना करती है, जिसके द्वारा संपत्ति का स्वामी उसे किसी अन्य व्यक्ति को इस उद्देश्य से सौंपता है कि किसी निश्चित आकस्मिकता के उत्पन्न होने तक वह व्यक्ति उसे अपने पास रखे अथवा किसी घटना के घटित होने पर उसका व्ययन करे, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जसवन्तराय मणिलाल अखाने बनाम द स्टेट ऑफ बॉम्बे (एआईआर 1956 एससी 575)** में अभिनिर्धारित किया है। आगे, **कॉमन कॉज़, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम भारत संघ और अन्य, (1999) 6 एससीसी 667** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 405 में परिकल्पित न्यास तभी उत्पन्न होगा जब संपत्ति की सुपुर्दगी अथवा संपत्ति पर प्रभुत्व सौंपा गया हो। अतः ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति की हो और जिसे धारा 405 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध के आरोपी व्यक्ति को सौंपा गया हो। संपत्ति की सुपुर्दगी से एक न्यास सृजित होता है, जो संपत्ति के स्वामित्व

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से जुड़ा एक दायित्व मात्र है तथा स्वामी द्वारा किसी व्यक्ति पर रखे गए और उसके द्वारा स्वीकार किए गए विश्वास से उत्पन्न होता है।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में संपत्ति की कोई सुपुर्दगी अथवा संपत्ति पर कोई प्रभुत्व सृजित नहीं हुआ है, क्योंकि माल की बिक्री के साथ उसका स्वामित्व भी हस्तांतरित हो गया था। अतः मामले के तथ्य आपराधिक न्यासभंग के अपराध का गठन नहीं करते हैं, जो धारा 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय है।

10. इसके अतिरिक्त, विवाद व्यावसायिक लेन-देन तथा माल का भुगतान न किए जाने के कारण उत्पन्न हुआ है; अतः पक्षकारों के बीच विवाद मूलतः दीवानी प्रकृति का है। आवेदक का कहना है कि आपूर्ति किए गए उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर असहमति के कारण वास्तविक रूप से विवाद उत्पन्न हुआ, जो भुगतान रोकने अथवा भुगतान की शर्तों पर पुनः बातचीत करने को उचित ठहराता है। इससे स्पष्ट होता है कि विवाद पूर्णतः दीवानी एवं संविदात्मक प्रकृति का है और उसमें कोई आपराधिक तत्व विद्यमान नहीं है।

11. इस दलील के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय **हरियाणा राज्य बनाम चौ. भजन लाल (1992 सप्लिमेंट (1) एससीसी 335)** पर भरोसा किया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 482 के प्रावधानों तथा आपराधिक कार्यवाही अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की उच्च न्यायालय की शक्तियों पर विस्तार से विचार किया था। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित करते हुए विधिक स्थिति का सार प्रस्तुत किया, जिनका उच्च न्यायालयों द्वारा अपनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक शिकायत को निरस्त करने में पालन किया जाना है:-

- “1. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, यदि उन्हें उनके प्रथमदृष्टया स्वरूप में लिया जाए और संपूर्णतः स्वीकार कर लिया जाए, तो भी प्रथम दृष्टया कोई अपराध गठित नहीं करते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।
2. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप तथा उसके साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, जिससे संहिता की धारा 156(1) के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच किया जाना न्यायोचित ठहरे, सिवाय मजिस्ट्रेट के आदेश के, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत परिकल्पित है।
3. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप तथा उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।
4. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां धारा 155(2) में परिकल्पित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा कोई जांच अनुमन्य नहीं है।
5. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने असंगत और स्वभावतः असंभाव्य हों कि उनके आधार पर कोई विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस न्यायोचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. जहां संहिता या संबंधित अधिनियम, जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है, के किसी प्रावधान में कार्यवाही के संस्थित किए जाने और उसे जारी रखने पर स्पष्ट विधिक रोक हो, और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में ऐसी कोई विशिष्ट व्यवस्था हो, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के निवारण के लिए प्रभावी उपचार प्रदान करती हो।

7. जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से ग्रस्त हो और/या जहां अभियुक्त से प्रतिशोध लेने तथा निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से किसी गुप्त मंशा के साथ कार्यवाही दुर्भावनापूर्वक संस्थित की गई हो।”

12. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के (2013) 11 एससीसी 673, परमजीत बत्रा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य के निर्णय पर भी भरोसा किया है और निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे उद्धृत किया गया है:-

“12. संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को सावधान रहना होगा। इस शक्ति का प्रयोग विरल मामलों में और केवल किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने अथवा अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना चाहिए। कोई शिकायत आपराधिक अपराध का खुलासा करती है अथवा नहीं, यह उसमें आरोपित तथ्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपराधिक अपराध के आवश्यक तत्व विद्यमान हैं अथवा नहीं, इसका निर्धारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना है। दीवानी लेन-देन को प्रकट करने वाली शिकायत में भी आपराधिक स्वरूप हो सकता है। किंतु उच्च न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या मूलतः दीवानी प्रकृति के विवाद को आपराधिक अपराध का आवरण दिया गया है। ऐसी स्थिति में, यदि कोई दीवानी उपचार उपलब्ध है और वास्तव में उसे अपनाया भी गया है, जैसा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि इस मामले में हुआ है, तो न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

13. जैसा कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, वर्तमान मामले में विवाद मूलतः होटल व्यवसाय के लाभ तथा उसके स्वामित्व से संबंधित है। लंबित दीवानी वाद इन सभी मुद्दों का समाधान कर देगा। अपीलार्थी द्वारा कूटरचित और जाली दस्तावेजों का प्रयोग किए जाने का आरोप भी उक्त वाद में निपटाया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध इसी प्रकार की शिकायत दायर करने का प्रयास विफल हो जाने के बाद उसने वर्तमान शिकायत दायर की है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उसके विरुद्ध धारा 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाते हुए दायर किए गए एक अन्य मामले में अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रश्नगत दुकान का कब्जा भी अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को सौंप दिया गया है। ऐसी स्थिति में, हमारी राय में, लंबित आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उच्च न्यायालय का इसके विपरीत निष्कर्ष निकालना उचित नहीं था।”

13. उपर्युक्त विधिक स्थिति की पृष्ठभूमि में यह न्यायालय, बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, आवेदक द्वारा प्रस्तुत अप्रतिवादित सामग्री को भी यह निर्धारित करने के लिए देख सकता है कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 द्वारा संस्थित आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से ग्रस्त है और/या क्या उक्त कार्यवाही अभियुक्त से प्रतिशोध लेने तथा निजी एवं व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के किसी गुप्त उद्देश्य से दुर्भावनापूर्वक संस्थित की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. अतः यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त आपराधिक कार्यवाही प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 द्वारा अभियुक्त से प्रतिशोध लेने तथा निजी एवं व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के किसी गुप्त उद्देश्य से दुर्भावनापूर्वक एवं विद्वेषपूर्ण तरीके से संस्थित की गई है। यह प्रथमदृष्टया दर्शाता है कि इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना अन्यायपूर्ण एवं दमनकारी होगा।

15. यह भी सुव्यवस्थित विधि है कि किसी व्यक्ति को किसी तुच्छ या काल्पनिक शिकायत के आधार पर अभियुक्त के रूप में समन किया जाना अत्यंत गंभीर विषय है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति की छवि धूमिल होगी जिसके विरुद्ध झूठे, तुच्छ अथवा काल्पनिक आरोप लगाए गए हैं। ऐसे मामलों में, जहां अभियुक्त इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट या कार्यवाही को निरस्त करने की मांग करता है कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या काल्पनिक है अथवा अभियुक्त से प्रतिशोध लेने के किसी गुप्त उद्देश्य से संस्थित की गई है, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विधि की प्रक्रिया के ऐसे दुरुपयोग को चिन्हित करे और धारा 482 दं.प्र.सं. (धारा 528 बी.एन.एस.एस.) के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करे।

16. अंततः, आवेदक की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विवाद माल का भुगतान न किए जाने से संबंधित है और प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2014 में, अर्थात् लगभग नौ वर्ष के अंतराल के बाद, दर्ज की गई है तथा चूंकि धारा 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध के लिए तीन वर्ष से अधिक के कारावास का दंड नहीं है, इसलिए धारा 468 दं.प्र.सं. के दृष्टिगत संज्ञान समय-सीमा से बाधित है। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि माल की आपूर्ति वर्ष 2014 में की गई थी और उसके पश्चात आवेदक द्वारा भुगतान नहीं किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि बाद में, आवेदक से भुगतान करने के लिए कहे जाने पर, उसने दिसंबर, 2022 में भुगतान करने का वादा किया और फिर अप्रैल, 2023 में भुगतान करने का वादा किया,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किंतु इसके बाद भी कोई भुगतान नहीं किया और परिणामस्वरूप अप्रैल, 2023 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के अनुसार, उपर्युक्त अवधि के दौरान माल के भुगतान से संबंधित विवाद लंबित रहा और आवेदक भुगतान करने का वादा करता रहा। अतः जब उसने वर्ष 2023 में भुगतान नहीं किया, तब वाद हेतुक उत्पन्न हुआ और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई तथा इसलिए यह समय-सीमा से बाधित नहीं है। इस विवाद में गए बिना कि लिया गया संज्ञान समय-सीमा से बाधित था अथवा नहीं, जैसा कि उपर्युक्त में अभिनिर्धारित किया गया है, विवाद मूलतः दीवानी प्रकृति का है और उसे आपराधिक रंग दिया गया है तथा इसके अतिरिक्त आपराधिक न्यासभंग का अपराध भी नहीं बनता है। अतः वर्तमान आपराधिक कार्यवाही का लंबित रहना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है।

17. उपर्युक्त के दृष्टिगत, बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा वाद संख्या 6752/IX/2025 (राज्य बनाम योगेश गुप्ता), जो मुकदमा अपराध संख्या 328 वर्ष 2023, धारा 406 भा.दं.सं., थाना-कोतवाली नगर, जिला-बांदा से उत्पन्न हुआ है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा के न्यायालय में लंबित है, में पारित दिनांक 12.12.2025 के आक्षेपित समन आदेश को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

03 अगस्त, 2026

आदित्यजी